

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
निशी कांत झा और अन्य
बनाम

संजय कुमार झा

2024 का विविध अपील सं. 82

21 अगस्त 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ताओं को नोटिस की कथित गैर-प्रसारण के आलोक में एक्-पार्टी आदेश वैध था?

हेडनोट्स

परिवार कानून - अभिभावकत्व - एक पक्षीय आदेश - अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 - दी.प्र.सं. आदेश IX नियम 6 और आदेश V नियम 12, 15, 17 और 19 - समन की गैर-सेवा - एक पक्षीय कार्यवाही की वैधता - मामला वापस भेजा गया - अभिभावक और वार्ड मामला संख्या 01 वर्ष 2020 पुनर्स्थापित - परिवार न्यायालय को छह महीने के भीतर मामले का निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया गया - पक्षों को 21.09.2024 को बिना किसी और सूचना के उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

निर्णय : परिवार न्यायालय ने एक सतही और यांत्रिक तरीके से कार्य किया, नोटिस की सेवा से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, एक पक्षीय कार्यवाही से पहले। 18.09.2023 का आदेश रद्द कर दिया गया, और मामले को उचित सेवा सुनिश्चित करने और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नए फैसले के लिए वापस भेजा गया।

न्याय दृष्टान्त

कोई विशिष्ट कानून उद्धृत नहीं किया गया।

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908; अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890

मुख्य शब्दों की सूची

समन जारी करना; नोटिस चिपकाना; सेवारत अधिकारी की परीक्षा; वैधानिक अनुपालन; अवैध/अस्थायी आदेश; नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा

प्रकरण से उत्पन्न

अभिभावक और वार्ड मामले संख्या 01 की 2020, परिवार न्यायालय, बांका

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजीव रंजन झा
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री राजेंद्र कुमार झा

हेडनोट्स तैयार किया गया : रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का विविध अपील सं. 82

=====

1. निशी कांत झा पिता शिव नंदन झा निवासी- गाँव - बाबूटोला, अमरपुर रोड, थाना और जिला- बांका- 813102, वर्तमान निवासी- बंता नगर, सी-जोन के नजदीक डी.ए.वी. स्कूल आदित्यपुर, सरायकला, खरसावां, झारखंड।
2. रिडम कुमारी पिता संजय कुमार झा और निशी कांत झा की नतिनी ग्राम- बाबूटोला अमरपुर रोड, थाना और जिला - बांका-813102, वर्तमान निवासी, बंता नगर, सी-जोन के नजदीक डी.ए.वी. स्कूल आदित्यपुर, सरायकला, खरसावां, झारखंड।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

संजय कुमार झा, पिता - श्री दिनेश चंद्र झा, निवासी, ग्राम- चमरेली, थाना- बांका, जिला- बांका ।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राजीब रंजन झा

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री राजेंद्र कुमार झा

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे)

दिनांक : 21-08-2024

वर्तमान अपील, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांका के न्यायालय द्वारा अभिभावक एवं 2020 का प्रतिपाल्य वाद संख्या 01, में पारित दिनांक 18.09.2023 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता संख्या 1/निशीकांत झा को अपीलकर्ता संख्या 2/रिदम कुमारी को उत्तरदाता /संजय कुमार झा को सौंपने का आदेश दिया गया है।

2. मामले का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता ने निकिता आनंद/अपीलकर्ता संख्या 1 की पुत्री से विवाह किया था और उक्त विवाह से एक पुत्री/अपीलकर्ता संख्या 2 का जन्म हुआ। यह कहा गया है कि उत्तरदाता अपीलकर्ता संख्या 1 के घर उसकी पुत्री/अपीलकर्ता संख्या 2 से मिलने गया था और वर्तमान मामला उत्तरदाता द्वारा, जो एक पिता और प्राकृतिक अभिभावक है, अपने नाबालिग बच्चे के लिए संरक्षकता की मांग करते हुए, अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत दायर किया गया है।

3. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, 2024 की वर्तमान एम. ए. संख्या 82 को अंतिम निपटान के लिए लिया जाता है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने दलील दी कि उत्तरदाता ने प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांका के समक्ष कानूनी अभिभावक की नियुक्ति और अपीलकर्ता संख्या 2 की अभिरक्षा माँ के रूप में लेने के लिए याचिका दायर की है। निकिता आनंद (उत्तरदाता की

पत्नी) की 05.06.2017 को फरीदाबाद, हरियाणा के कैली बाईपास रोड के पास सीकरी एनएच 2 पर एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और अपीलकर्ता संख्या 2 की माँ की मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता संख्या 1, बांका में अपीलकर्ता संख्या 2 की देखभाल कर रही है क्योंकि अपनी माँ की मृत्यु के समय उसकी आयु केवल 4-5 वर्ष थी। विद्वान वकील ने आगे दलील दिया कि अपीलकर्ता संख्या 2 अपने नाना-नानी के साथ रह रही है और वह सरस्वती शिशु मंदिर, बांका में 5 वीं कक्षा में पढ़ रही है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उत्तरदाता ने प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांका के समक्ष अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 7(i) के अंतर्गत निम्नलिखित राहत के लिए आवेदन दायर किया है:-

निम्नलिखित राहतों के लिए संरक्षक और वार्ड अधिनियम की धारा 7 (i) के तहत प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बांका के समक्ष आवेदन:-

- (i) यह अभिनिर्धारित और घोषित किया जाए कि उत्तरदाता अपीलकर्ता सं. 2 का अभिभावक है।
- (ii) उपरोक्त निर्णय के आधार पर, न्यायालय अपीलकर्ता सं. 1 को अपीलकर्ता संख्या 2 को उत्तरदाता को सौंपने का निर्देश देने की कृपा करे।
- (iii) विद्वान न्यायालय अपीलकर्ता संख्या 1 को उत्तरदाता की संरक्षकता में हस्तक्षेप न करने हेतु निरुद्ध/निर्देशित करने की कृपा करेगा।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि 2020 का मामला संख्या 02 को 23.12.2020 को स्वीकृत किया गया था और डी. बी. संख्या. 4 दिनांक 08.01.2021 के माध्यम से सूचना जारी किए गए हैं। दिनांक 06.09.2021 के ऑर्डर शीट से पता चला कि सेवा प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न की गई थी। दिनांक 10.10.2022 के आदेश शीट से यह प्रतीत होता है कि समन की सेवा के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और यह भी माना

जाता है कि अपीलकर्ताओं को समन की उचित सेवा दी गई है और याचिका को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 6 (i) (a) के तहत उनके खिलाफ एकतरफा सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। उन्होंने आगे दलील दिया कि उक्त मामले में उत्तरदाता की ओर से तीन गवाहों की जाँच की गई है, जो अ.सा.-1/उत्तरदाता स्वयं, अ.सा.-2 दिनेश झा/उत्तरदाता के पिता और अ.सा.-3 महारानी देवी/उत्तरदाता की माता हैं। इसके बाद, संबंधित न्यायालय ने 18.09.2023 को उत्तरदाता को अपीलकर्ता संख्या 2 का स्वाभाविक अभिभावक घोषित करते हुए आदेश पारित किया और आदेश दिया कि अपीलकर्ता संख्या 1, आदेश के अनुसार अपीलकर्ता संख्या 2 को उत्तरदाता को सौंप देगा। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संबंधित पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित 18.09.2023 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, वर्तमान एम.ए. को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ तथ्यों के आधार पर भी उचित नहीं है क्योंकि अपीलकर्ताओं की पीठ पीछे एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है और अपीलकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दिया गया है और समन का प्रतिवेदन रिपोर्ट वास्तविक तथ्य को उजागर करेगा कि अपीलकर्ताओं को कोई नोटिस मिला है या नहीं। उन्होंने आगे दलील दिया कि आक्षेपित आदेश दी.प्र.सं. के आदेश IX नियम 6(i)(a) का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है क्योंकि अपीलकर्ताओं को कभी भी समन नहीं की गई और एकपक्षीय सुनवाई का अवैध आदेश पारित किया गया है और संबंधित न्यायालय ने उस डाक चपरासी की जाँच नहीं की है जिसने अपीलकर्ताओं को नोटिस तामील किया था। संबंधित न्यायालय ने केवल सेवा प्रतिवेदन पर भरोसा किया कि क्या अपीलकर्ताओं को सूचना दिया गया है या नहीं और मामले को दी.प्र.सं. के आदेश IX नियम 6(i)(a) के तहत एकपक्षीय सुनवाई के लिए तय कर दिया।

6. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को उचित नोटिस दिया जा चुका है और प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांका ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया है और इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अभिलेख के अवलोकन से, हम संतुष्ट हैं कि एकपक्षीय आदेश अपीलकर्ताओं को सूचना न देने के आधार पर कानूनी रूप से अस्थिर है और उसी को पुनः परीक्षण के लिए रिमांड करने की आवश्यकता है, हम वर्तमान अपील के योग्यता के विवरण में जानने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उस गिनती पर कोई भी अवलोकन किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है जब मामले को योग्यता के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा फिर से चलाया जाता है।

8. यह जाँचने के उद्देश्य से कि क्या विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश सही ढंग से पारित किया गया था, हमने पारिवारिक न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है। दिनांक 19.12.2020 के आदेश पत्र से पता चलता है कि उत्तरदाता की ओर से अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 7(1) के तहत याचिका वकालतनामा के साथ दायर की गई थी और उसे पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और याचिका 23.12.2020 को स्वीकार कर ली गई थी और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 04.02.2021 को उत्तरदाता की ओर से डाक रसीद प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 27.03.2021 से 29.10.2021 तक के आदेश पत्र से कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया गया है। दिनांक 21.12.2021 को, यह उल्लेख किया गया था कि रसीद अभिलेख के साथ संलग्न कर दी गई थी और मामला को 04.02.2022 के लिए रखा गया था। 04.02.2022 को, यह प्रार्थना की गई कि विपक्षी/अपीलकर्ता वर्तमान में झारखंड में रह रहे हैं और तदनुसार, वर्तमान पते पर

समन जारी करने का अनुरोध किया गया और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। 10.10.2022 को, न्यायालय ने आदेश पारित किया कि सभी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन विपक्षी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए मामले को एकपक्षीय सुनवाई के लिए रखा गया था ।

9. दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 5 समन जारी करने और तामील करने का प्रावधान करता है। नियम 9 के अनुसार, जहाँ उत्तरदाता उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता है जिसमें वाद दायर किया गया है, या उसका कोई प्रतिनिधि उस अधिकार क्षेत्र में निवास करता है जो समन की तामील स्वीकार करने के लिए अधिकृत है, वहाँ, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, समन या तो उसके या उसके अधीनस्थों में से किसी एक द्वारा तामील किए जाने हेतु उचित अधिकारी को या न्यायालय द्वारा अनुमोदित कूरियर सेवाओं को दिया या भेजा जाएगा। नियम 9 के उप-नियम (3) के अंतर्गत, समन की तामील उत्तरदाता या सेवा स्वीकार करने के लिए अधिकृत उसके प्रतिनिधि को संबोधित पंजीकृत डाक पावती द्वारा उसकी एक प्रति वितरित या प्रेषित करके या स्पीड पोस्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा अनुमोदित कूरियर सेवाओं द्वारा की जा सकती है।

10. दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 का नियम 17 उस स्थिति में प्रक्रिया निर्धारित करता है जब उत्तरदाता तामील स्वीकार करने से इनकार कर देता है या उसे पाया नहीं जा सकता। इसमें प्रावधान है कि यदि उत्तरदाता नहीं पाया जा सकता है, तो तामीलकर्ता अधिकारी समन की एक प्रति उस घर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपका देगा जिसमें उत्तरदाता सामान्यतः रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और फिर मूल प्रति उस न्यायालय को लौटा देगा जहाँ से उसे जारी किया गया था, उस पर एक रिपोर्ट पृष्ठांकित या संलग्न करके जिसमें यह बताया गया हो कि उसने

प्रतिलिपि चिपकाई है, किन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया, और उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे घर की पहचान हुई और जिसकी उपस्थिति में प्रतिलिपि चिपकाई गई। संहिता के आदेश 5 के नियम 19 के तहत, जहाँ नियम 17 के तहत समन वापस किया जाता है, वहाँ तामीलकर्ता अधिकारी की जाँच अनिवार्य है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

11. आदेश पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि क्या न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को नोटिस की तामील की गई थी या नहीं। दिनांक 10.10.2022 के आदेश पत्र से पता चलता है कि न्यायालय ने वैधानिक प्रावधान का पालन किए बिना मामले को एकपक्षीय सुनवाई के लिए रखकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया है। आदेश पत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबंधित न्यायालय द्वारा उठाए गए कदम सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम, 12, 15 और 17 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। संबंधित न्यायालय ने कभी भी इस बात पर संतुष्टि व्यक्त नहीं की है कि उसने अपीलकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाएं कैसे पूरी की हैं। जब तक न्यायालय स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता कि नोटिस ठीक से दिया गया था, तब तक, उक्त आधार पर, न्यायालय यह आदेश पारित नहीं कर सकता कि अपीलकर्ताओं को नोटिस ठीक से दिया गया है। दिनांक 04.02.2022 के आदेश पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि विपक्षी झारखंड में रहता है और विपक्षी/अपीलकर्ताओं को नोटिस की तामील के लिए आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया गया है, लेकिन किसी भी विशेष तिथि पर ऐसा कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिया गया है जिससे न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समन की तामील की गई है और न्यायालय सीधे इस निष्कर्ष पर पहुँच गई है कि नोटिस ठीक से दिया गया है, बिना यह बताए कि विपक्षी/अपीलकर्ताओं को नोटिस कैसे दिया गया है।

12. वर्तमान मामले में, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने आकस्मिक और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया है। दिनांक 10.10.2022 का आदेश पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मामला एकतरफा सुनवाई के लिए तय किया गया है और आदेश पत्रक में वर्णन किया गया है कि सभी प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन दिनांक 10.10.2022 के आदेश पत्र से पहले, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह कहता है कि अपीलकर्ता को नोटिस देने के लिए कितनी प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। आदेश पत्र केवल यह इंगित करते हैं कि सामान और प्रक्रियाएं यह दिखाने के लिए की गई हैं कि सभी प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन वास्तव में वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और मामले को उचित सहारा लिए बिना एकतरफा सुनवाई के लिए तय किया गया है जो वैधानिक प्रावधान के तहत अनिवार्य आवश्यकता है। संबंधित न्यायालय द्वारा किसी भी आदेश पत्र में कोई कानाफूसी नहीं की गई है कि विरोधी पक्ष/अपीलकर्ताओं को उचित रूप से नोटिस दिया गया है। दिनांक 04.02.2022 का आदेश पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपीलकर्ता वर्तमान में झारखंड में उस स्थिति में रह रहे हैं कि क्या नए पते पर सूचना ठीक से दिया गया है या नहीं। उक्त आधार पर, न्यायालय द्वारा किसी भी आदेश पत्र में कोई कानाफूसी नहीं की गई है। इस तरह न्यायालय ने दी.प्र.सं. के आदेश 5 का नियम 12, 15 और 17 के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है। उक्त मामले में, न्यायालय को नोटिस जारी करने के अनुपालन के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि न्यायालय को सभी वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि पक्षकार की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 12, 15 और 17 के तहत शक्ति के प्रयोग हेतु पूर्वापेक्षाओं के बारे में अपेक्षित हैं।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ताओं को विधिवत सूचना नहीं दिया गया था और संबंधित न्यायालय द्वारा अपनाई

गई प्रक्रिया को दूषित किया जा रहा था, इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ पारित एकतरफा आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए। तदनुसार, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बांका द्वारा 2020 के अभिभावक और प्रतिपाल्य मामले संख्या 1 में पारित दिनांक 18.09.2023 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। 2020 का अभिभावक और प्रतिपाल्य मामला संख्या 1 प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बांका की सूची में पुनः स्थापित किया गया है। संबंधित पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद, इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मामले को अपनी योग्यता के आधार पर कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए परिवार न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। पक्षों को 2020 के संरक्षक और वार्ड मामले संख्या 1 के निपटारे में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। पारिवारिक न्यायालय, बांका 2020 के अभिभावक और प्रतिपाल्य मामले संख्या 1 को 3 बजे अपराह्न 21.09.2024 पर सूचीबद्ध करे। पक्षों/अधिवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त तिथि पर बिना किसी पूर्व सूचना के परिवार न्यायालय, बांका में उपस्थित हों।

14. विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

15. लंबित आई. ए., यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहजाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।